राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/सीधी भर्ती/ने0स0/10/476 दिनांक : 30-7-10

नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (समय–समय पर संशोधित) के अन्तर्गत नेत्र सहायक के पद पर वरियता के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमो मे उल्लेखित योग्यताधारियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पदो का विवरण

कुल पदों की संख्या	सामान्य पद		आरक्षित पद											
			अजा		अ0ज0जा0		अन्य पिछडा वर्ग		निःशक्तजन	भू.पूर्व सैनिक	अनुसूचित क्षेत्र		उत्कृष्ट खिलाडी
	सा.	म0	सा	म0	सा	म0	सा	म0			अजा	अजजा	
20	8	3	3	–	2	–	3	1	–	2	–	–	–

आरक्षण :–

(1) राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमो के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को 21 प्रतिशत, विशेष पिछडा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(2) राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(2)कार्मिक/क–2/96 पार्ट ।। दिनांक 07.09.2007 के अनुसार महिलाओ को 30 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण (Horizontal) देय है। इसी आरक्षण में विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(3) भूतपूर्व सैनिको को 12.5 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(4) विकलांग अभ्यर्थियो (केवल वन लेग केटेगिरी) को नियमानुसार 3 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण देय है।

नोट : क्रम संख्या 2 से 4 तक उल्लेखित श्रेणी के अभ्यर्थियो को वर्गवार आरक्षण (Horizontal) देय है।

(5) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार अनुसूचित/उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र (तह0 किशनगंज एवं शाहबाद) के अभ्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय है।

वेतनमान एवं अन्य सुविधाऐं :–

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या– क्रमांक एफ11(7)एफडी /रूल्स/08 दिनांक 12.9.08 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को रनिंग पे बैण्ड– 5200–20200, ग्रेड पे संख्या– (रूपये 1900) में दो वर्ष के प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में 6100/– रूपये फिक्स राशि पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी तथा उक्त परिपत्र के अनुसार ही अन्य सुविधाऐं देय होगी। नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

आयुः– (आयु की गणना दिनांक 01.01.11 को आधार मानकर की जावेगी)

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.11 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहियें परन्तु यह कि :–

1– राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.9.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी ।

2–(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी जो राजस्थान का स्थाई निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थाई निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट देय है।

3–राजस्थान निःशक्त व्यक्तियो का नियोजन नियम–2000 के नियम–4 के उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :–

क–सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु 10 वर्ष
ख–पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु 13 वर्ष
ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो हेतु 15 वर्ष

4–भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष है।

5–विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नही है।

स्पष्टीकरणः– विधवा महिलाओं के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त (यदि कोई हो) अन्य मामलों में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।

योग्यताः–

1–सीनियर सैकेण्डरी (10 + 2) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 2 वर्ष का नेत्र सहायक कोर्स उत्तीर्ण।

2–देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

शुल्कः–

पद के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 200 रूपये, पिछडा वर्ग के आवेदकों के लिए 150 रूपये निशक्तजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से 100 रूपये आवेदन शुल्क होगा । जो पोस्टल आर्डर/बैकर चैक/डी.डी. के रूप में आहरण एवं वितरण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज जयपुर निदेशालय के नाम देय है।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि :–

(अ) विज्ञापित पदों हेत आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।

(ब) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक पंजीकृत/साधारण डाक अथवा कोरियर से अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज0 जयपुर को भिजवायेगें। व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

(स) आवेदन करने की अन्तिम तिथि 3-9-2010 सांयकाल 6 बजे तक है। नियत अन्तिम तिथि को निश्चित समय तक आवेदन पत्र कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता

1– किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की

कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

2– किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नही मानी जावेगी। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

3– किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिऐ पात्र नही माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :– इस. नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैंट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961).

4– ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नही समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नही होती परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

5– शासन के परिपत्र कमांक प. 6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

6– आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ती के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नही हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नही माने जावेगे।

सामान्य निर्देशः–

1– अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता/पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति की आय/नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

2– अभ्यर्थी का चयन शुद्व योग्यता/मैरिट के आधार पर किया जावेगा । मेरिट का आधार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत एवं नेत्र सहायक प्रशिक्षण की अंकतालिका के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंको को जोडकर मैरिट बनाई जायेगी ।

3– विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी का अधिकार विभाग को होगा ।

4– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज न तो जोडा जावेगा और न ही संशोधित किया जावेगा ।

5– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होगा, कि वह उनमें से किसी भी एक आवेदन पत्र पर विचार करें ।

6– आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति/जाति/मूल निवास/विकलांगता/विधवा/परित्याक्ता/भूतपूर्व सैनिक/सन्तान संबंधी/विवाह पंजीयन एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो आवेदक के लिये आवश्यक है, की स्पष्ट पठनीय एवं सत्यापित प्रतिया संलग्न करे।

7– राजस्थान सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों से नेत्र सहायक प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र चयन हेतु मान्य होंगे । गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

8– ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त

निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

क्रमांकः–
दिनांकः–

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।

नेत्र सहायक के पद हेतु आवेदन पत्र वर्ष–2010

आवेदक का नाम	हिन्दी में–		आवेदक नवीनतम फोटो चिपकाऐं
	अंग्रेजी में (बडे. अक्षरों में)		
पिता का नाम	हिन्दी में–		
	अंग्रेजी में (बडे. अक्षरों में)		
गृहजिला			

1–पत्र व्यवहार का पताः (हिन्दी में)..

....

....

2– जन्म तिथि (अंकों में) ....

(शब्दों में) ....

आयु (दिनांक–1.1.2010 को)	वर्ष–	माह–	दिन–

(सैकण्डरी प्रमाण पत्र/अंकतालिका के अनुसार)

3–राज्य का नामः–
(जहां के आप स्थायी निवासी हैं) [ ]

4–क्या आप राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के सदस्य हैं ? यदि हां, तो (संबंधित वर्ग को √ करें)–

SC	ST	BC	SBC

5– लिंग
(संबंधित खाने को √ करें)

पुरूष	महिला

6– क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं:–
(संबंधित खाने में √ करें)
यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें

हां	नहीं

7–यदि आप निःशक्तजन आवेदक हैं, तो जिस श्रेणी के निःशक्त हैं, संबंधित खाने में √ करें। (40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता होने पर ही आरक्षण का लाभ देय है)

oneleg	Other type

8	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (कॉलम में √ करें)	विवाहित	अविवाहित	विधवा

9–आवेदक विवाहित है, तोः–

1–विवाह पंजीकरण संख्या..(यदि हो तो)

2–पत्नि / पति का नाम...

(विवाह पंजीकरण नहीं होने की दशा में 10 / –रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)

3–सन्तानों का विवरण

दिनांक–1.6.2002 को		दिनांक–1.6.2002 के पश्चात	
जीवित पुत्र / पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	जीवित पुत्र / पुत्री का नाम	जन्म दिनांक
1		1	
2		2	
3		3	

10–शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क सं	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	सैकण्डरी / हाई स्कूल अथवा समकक्ष					
2	सीनियर सैकण्डरी (10+2) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण					

(विधि द्वारा स्थापित बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र / अंकतालिका ही मान्य होगी)

11–तकनीकी योग्यता

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम जहॉं से तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त किया	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

12–पोस्टल ऑर्डर / डी0डी0 / पे–ऑर्डर नम्बर..

दिनांक–..............................राशि–..................................डाकघर / बैंक का नाम मय

शाखा– ....

(केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री .... जो भारतीय सेना की .... बटालियन/कम्पनी में दिनांक–................................से ....तक सेवा में रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होने की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं, इनका कार्यव्यवहार उत्कृष्ठ/अच्छा/संतोषजनक रहा है। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

सचिव
जिला सैनिक कल्याण बोर्ड,
....
(हस्ताक्षर मय सील)

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त घोषणा

मैं एतद्‌द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र की सभी प्रविष्ठियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य एवं सही हैं, मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना असत्य/गलत अथवा संदिग्ध पाई जावे तो विभाग मेरे विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है/कर सकता है।

मैंनें विभाग के विज्ञापन के उपबन्धों/नियमों को ध्यानपूर्वक पढ लिया है और मैं एतद्‌द्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

मैं यह घोषणा करता /करती हूँ कि मैं उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता /करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान–
दिनांक–
संलग्नः–

क्र सं	संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण	प्रमाण पत्र का क्रमांक	प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि	विशेष विवरण, यदि कोई हो
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या–.......................(अंकों में)............................शब्दों में